न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 84बी/2024 G.C.M.S. No. 2024/561 दर्ज दिनांक : 15.10.2024

अपीलार्थी:

1. अर्जुनसिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. कल्याणसिंह पुत्र हरिसिंह फौत के विधिक वारिसानः–
   - 1.1 कृष्ण कंवर पत्नि कल्याणसिंह
   - 1.2 भूपेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
   - 1.3 विरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
   - 1.4 हेमेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. कैलाशसिंह पुत्र हरिसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र हुकमसिंह, जातिगण राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।
4. मृतक प्रेमसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत के कायम मुकामः–
   - 4.1 स्वर्णसिंह पुत्र प्रेमसिंह
5. सुखसिंह के कायम मुकाम वारिसानः–
   - 5/1 गजेन्द्रसिंह पुत्र सुखसिंह
   - 5/2 कुन्दन कंवर पुत्री सुखसिंह
   - 5/3 पवन कंवर पुत्री सुखसिंह
   - 5/4 मृतक बुधु कंवर पुत्री सुखसिंह पत्नि फतेहसिंह
     - 5/4/1 वर्षा कुंवर पुत्री बुधुकंवर नाबालिग जरिये पिता फतेहसिंह पुत्र रामसिंह राणावत, निवासी केसरसिंह गुड़ा, पाली।
     - 5/4/2 फतेहसिंह पुत्र रामसिंह राणावत, निवासी केसरसिंह गुड़ा, पाली।
6. मृतक सोहनसिंह पुत्र पीरदान के वारिसानः–
   - 6.1 जितेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह
   - 6.2 ईश्वरसिंह पुत्र सोहनसिंह
   - 6.3 श्यामकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि अनारसिंह, निवासी मुण्डारा, तहसील बाली व जिला पाली।
   - 6.4 डिम्पल कंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि कालूसिंह, निवासी पादरू, जिला बाड़मेर।
7. मृतक नाथूसिंह पुत्र मंगलसिंह के कायम मुकामः–
   - 7.1 मोहनकंवर पत्नि नाथूसिंह
   - 7.2 भंवरकंवर पुत्री नाथूसिह
   - 7.3 सुरज कंवर पुत्री नाथूसिंह
   - 7.4 उमा कंवर पुत्री नाथूसिंह
   - 7.5 गुड्डु कंवर पुत्री नाथूसिंह
   - 7.6 कुसुम कंवर पुत्री नाथूसिंह
   - 7.7 पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

7.8 हिम्मतसिंह पुत्र माथूसिंह
8. नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह
10. रणबहादुरसिंह पुत्र मोडसिंह
11. मृतक पदमसिंह पुत्र शंभूसिंह
   11.1 सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह
   11.2 प्रदीपसिंह पुत्र पदमसिंह
   11.3 सुरज कंवर पत्नि पदमसिंह
12. शम्भूसिंह पुत्र जवाहरसिंह, तमाम अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली। (रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 12 तक तक)
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 155/2007 बअनवान कल्याणसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 155/2007 बअनवान कल्याणसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 द्वारा जो वाद पेश किया गया था, यह वाद संक्षिप्त तथ्य में वर्णित तथा वाद में वर्णित खसरान के बाबत् पेश किया गया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में जो बंटवाड़े की निर्णय की डिक्री पारित की गई है, यह खसरा नम्बर 321, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351 बाबत् पारित की गई है तथा अन्य दो खसरान जो खसरा नम्बर 271, 317, 324 से 340, 236, 237 व 322 से 340 तक के खसरान की कृषि भूमि के बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई हैं तथा उक्त खसरान को प्राथमिक निर्णय व डिक्री में शामिल रखा गया है। जबकि पक्षकारान सभी प्रतिवादी के रूप में दर्ज थें व अनुतोष भी इसी अनुसार था तो प्राथमिक डिक्री तमाम खसरान की पारित की जानी चाहिये थीं, जो न कर विधि व तथ्य की भूल की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3.4 बुधुकंवर का तथा प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्णसिंह की मृत्यु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हो चुकी थी व प्रतिवादी संख्या 9 पदमसिंह की मृत्यु हो चुकी थीं। परन्तु इनके कायम मुकाम वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लाया गया व मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई, इस निर्णय व डिक्री में विधिनुसार विभाजन के जो प्रावधान है वो प्राथमिक डिक्री के आधार पर पारित किये जाने चाहिये थें तथा प्राथमिक डिक्री के आधार पर तमाम खसरान में जो कृषि भूमि जिस रूप की हैं, उसका उसी के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थीं, परन्तु नहीं की गई, इस कारण से प्राथमिक डिक्री निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को वाद चलने की जानकारी नहीं थीं तथा अपीलाण्ट की विधिवत तामिल भी नहीं हुई, न ही अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में कभी उपस्थित हुआ, इस कारण अपीलाण्ट को प्रकरण चलने की जानकारी भी नहीं थीं। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जवाब प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया व अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में दस्तावेजात रेकर्ड पर आये बगैर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात भी कायम नहीं की गई व दस्तावेज भी प्रदर्शित नहीं किये गये तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलाण्ट को क्षति हुई है। इस कारण से निर्णय व डिक्री माफिक कानूनन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट में पक्षकारान को उपस्थित होने बाबत् सूचित दिनांक 28.08.2024 को जारी नहीं किया गया, न ही इस बाबत मौके पर बुलाया गया, न ही मौके पर जरीब डालकर बंटवाडा किया गया न ही पत्थरगढी की गई तथा न ही अलग–अलग हिस्सा दर्ज किया गया, न ही कलर भरा गया। न ही नियमों के अनुसार बंटवाडा किया गया, न ही नियमों की पालना की गई, इस कारण पालना रिपोर्ट फर्जी है व मौके पर तैयारसुदा नहीं हैं तथा तमाम प्रतिवादी को बंटवाडा करने हेतु नोटिस भी जारी नहीं किया गया, न ही तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा जो पालना रिपोर्ट तैयार की गई हैं, इस पालना रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 349 जो बेरा है, इस बेरे के आस–पास की तमाम खसरान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 344, 346, 347, 348 रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 के लिए रखी गई, उक्त भूमि बेरे के पास की हैं तथा इनके लिए सुविधाजनक है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 के लिए भूमि बहुत दूर खसरा नम्बर 344 अलग से रखी गई, जो असुविधाजनक है तथा उक्त भूमि मौके पर उपजाउ भी नहीं हैं तथा उपजाउ भूमि बेरे के आस–पास की हैं, जो रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं। इसके अलावा बेरे के आस–पास की भूमि को रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पास रखने से

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलाण्ट बेरे के पास अपना मकान भी नहीं बना सकता है, न ही भूमि सुधार के लिए जिन्स रखने के लिए व कृषि औजार इत्यादि रखने व ट्रैक्टर इत्यादि रखने के लिए भूमि भी नहीं दी गई, जिससे कि अपीलाण्ट अपनी कृषि भूमि का उपयोग कर सके व बेरे पर रह सके। इसलिये जो बंटवाडा किया गया है व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं, वह विधिनुसार नहीं हैं व तहसीलदार द्वारा जो बंटवाड़ा की पालना रिपोर्ट तैयार की गई हैं व नक्शा बनाया गया है, इस पर किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस कारण से अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाडा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2024 को अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 व 3 की ओर से असालतन व वकालतन उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया गया कि प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य सहमति से वादग्रस्त आराजीयात का दिनांक 20.11.2024 को लिखत आपसी बंटवाड़ा मय नजरी नक्शा से राजीनामे से बंटवाड़ा किया गया है। उक्त राजीनामा इस राजीनामा का भाग है। अतः इसी अनुसार अपील का निर्णय किया जाकर पुनः अंतिम डिक्री पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमावें।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा निष्पादित हो चुका है। जिसमें वादी भी शामिल है। अतः हमारे विनम्र मत में प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक करते हुए मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट मंजूर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजीनामा व नजरी नक्शा प्रकरण में विधिनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादपत्र अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किए जाने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 155/2007 बअनवान कल्याणसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.07.2025 व लिखत आपसी बंटवाड़ा दिनांक 20.11.2024 मय नक्शा के अनुसार संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधिनुरूप प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। राजीनामा व लिखत आपसी बंटवाडा मय नक्शा इस निर्णय का भाग होगा। उभयपक्षकारान को ज़रिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ मूल राज़ीनामा दिनांक 03.07.2025 व लिखत आपसी बंटवाड़ा मय नक्शा दिनांक 20.11.2024 अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया ज़ाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner